



Neutral Citation Number- 2026:AHC:36291-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2394/2026

शिबू खान उर्फ सादुल्लाह खान

....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: संजय सिंह, यशवंत प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

---

**न्याय कक्ष संख्या-45**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता**

**माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, पुलिस थाना-भंवरकोल, जिला-गाजीपुर में बी.एन.एस. की धारा-105 के तहत दर्ज, वाद अपराध संख्या-0011/2026 का आधार बनी एफ.आई.आर. दिनांक 8.1.2026 को रद्द किए जाने की मांग करती है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध, जिसकी शिकायत की गई है, प्रकट नहीं होता है और, इस प्रकार, तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने योग्य है।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप से, प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता के खिलाफ अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और, इस प्रकार, **तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी के मामले में (2017) 2 एस.सी.सी. 779**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315 में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और आपराधिक अपील संख्या-843 / 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के मद्देनजर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद, और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

6. अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

7. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर विचार किया जाए और विधि के अनुसार, यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाए।

8. इन टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

18 फरवरी, 2026

केयू

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”